

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला-भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी :- महीपाल सिंह आर०ए०एस०

मुकदमा संख्या :- 34/2022 उपखण्ड

1. ~~डीवर सफेनु गुजरी~~ पुवावं (स०) - ~~सफेनु गुजरी~~

प्रार्थी

बनाम

1. ~~दिनाजल सफेनु गुजरी~~ पुवावं (स०) - ~~सफेनु गुजरी~~ - ~~करी~~
विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 सख्तमूठसजावधि 1956

:: आदेश ::

दिनांक 25/5/22

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 सख्तमूठसजावधि 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम ~~पुवावं~~ पटवार हल्का ~~पुवावं~~ तहसील करेडा में उसके खाते/संयुक्त खातों की खाता संख्या ~~26/~~ आराजी नम्बर ~~7612/~~ ~~0.170/~~

कुल किता 1 रकबा 0.170

हेक्टेयर भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खातों की भूमि की पत्थरगडी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 25/5/22 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे कास्त की होमे से पत्थरगडी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हिसा-बिसी होने का अर्देशा नही है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इनका तथ्यों का वैधता हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 सख्तमूठ रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम ~~पुवावं~~ पटवार हल्का ~~पुवावं~~ तहसील करेडा में स्थित खाता संख्या ~~26/~~ आराजी नम्बर ~~7612/~~ ~~0.170/~~

कुल किता 1 रकबा 0.170

हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगडी किये जाने हेतु मू-अभिलेख निरीक्षक ~~सफेनु गुजरी~~ को ~~4000/-~~ रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर फसकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगडी की जावे। फसल खड़ी होने पर पत्थरगडी नही की जावे।

संलग्न- प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी

प्रशासी अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
करेडा जिला भीलवाडा



प्रतिलिपि :- तहसीलदार करेडा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा करने पर निम्नानुसार पत्थरगडी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

2022/411

प्रशासी अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
करेडा जिला भीलवाडा